न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–11/2025 दायर दिनांकः 26.6.2025

GCMS NO:- 2025/184 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

कजोडी पुत्री रंगा हाल पत्नी मोरपाल जाति मोग्या नि. सातखालिया तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 18)

प्रार्थीगण

बनाम

कैलाश आ0 उम्मेदमल जाति महाजन नि0 देई वगै0 (कुल 6)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 529 खसरा नम्बर 4027/1 रकबा 2.4270 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण के पिता ने एक कुई का निर्माण भी कर रखा है जो काफि वर्षो पुरानी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार स्वामी है तथा प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर कृषि काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण सीधा साधा ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। प्रार्थीगण की भूमि के पास रास्ता व अन्य खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि स्थित है जो आये दिन सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी देकर प्रार्थीगण की भूमि को दबा दिया है तथा जबरन तारबंदी कर दी है। प्रार्थीगण का अतिक्रमियों से विवाद नही बढे इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का दिनांक 16.05.2025 को सीमाज्ञान बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन पटवारी हल्का ने कुछ भूमि प्रार्थीगण के कब्जे मे नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे मे होने से सीमाज्ञान करने से मना कर दिया। उसके उपरान्त प्रार्थीगण तहसीलदार नैनवॉ से पत्थरगढी करने का तकाजा किया तो अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थीगण को यह कहकर मना कर दिया कि न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश लाओ तब तुम्हारा काम होगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति, शपथ पत्र एवं सीमाज्ञान आवेदन पत्र व पटवारी रिपोर्ट की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देई तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 529 खसरा नम्बर 4027/1 रकबा 2.4270 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ